# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रमीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास, (मधुबनी)।

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता ग्ममीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, नाबार्ड ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

NABARD Maint. योजना अंतर्गत पथवार आवंटन के अधियाचना के संबंध में। विषय:-महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास में NABARD Maint. योजना अंतर्गत पथवार आवंटन का अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित किया जाता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवंटित अधियाचना देने कि कृपा करें जिससे कि ससमय मुगतान हो सके।

1. अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ग्रमीण कार्य विभाग

## FROM GFR 19-A

# (See Government of India's Decision (1) below Rule -150) From of utilization Certificate up to the month of February -2025 NABARD Maint. SCHEME

#### PIU-PHULPARAS

SI NO.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (In lakh)	Amount Received (In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under NABARD Maint.	File No- 13 EIC- 01-07/2022, Order No- 4886 Date- 21-11-2024	7.16038	Certified that out of Rs. 7.16038  .Lakh received during the years 2024- 25 in favor of Ex. Engineer, RWD Bihar Patna Sum of Rs. 7.16038 Lakh has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balances of Rs 0.000 (Approx) Lakh remaining unutilized at the end of the period under.
	Total	š .	000.00000	

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants in -aid was sanctioned have been dully fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purposed for which it was sanctioned.

### Kind of Checks Exercised:-

- (I) Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (II) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (III) Construction material have been tested.
- (IV)Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant.
- (V) All other codal formalities have been observed.
- 3. Physical progress achieved.
  - (i) Construction of Road Works.
  - (ii) Construction of CD works.

Divisional Account Officer Rural Works Department Works Division, Phulparas

**Executive Engineer** Rural Works Department gKs Division-Phulparas और योजना मद में शीर्ष Nabard अन्तर्गत पर्थों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र :-

	·*			
अभियुक्ति			,	1st 2rd Year Maint. Work Done (MB
	कुल अध्याचित राशि (लाख में)		20	5.62900
त साश	पंचम वर्ष (लाख में)		2.4	0.00000
न्तु अधियाचि	प्रथम वर्ष दितीय वर्ष चतुर्थ वर्ष पंचम वर्ष राषि (लाख में) (लाख में) (लाख में) (लाख में) (लाख में)		23	14.11.22 2.59251 3.03649 0.00000 0.000000 5.62900
यतेमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु अधियाचित राशि	तृतीय वर्ष (लाख में)		"	0.00000
	दितीय वर्ष (लाख में)		1,7	3.03649
	प्रथम वर्ष (लाख में)		20	2.59251
	मूल निर्माण कार्य पूर्ण करने की यास्तियिक तिथि		19	14.11.22
	हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक/दिनां क		18	70
derreff	पंचयवीय स्थीकृति की गाणि सिट्टा की गाणि एवं अनुसीदित पर्मा परिनाण दिलांक विपन्न की शिलाख मी			44.0126
				0.00000 0.00000 0.000 0.00 0.00000 2233)
्रिस स (जाह्म से (जाह्म से			15	0.00000
-			14	00.0
ट्यय की राशी वर्षवार	पंचम चतुर्थं वर्ष वर्ष (लाख में) (लाख		13	0.00000
	तृतीय वर्ष (लाख में)		12	0.00000
	दितीय यर्ष दितीय यार्ष वर्ष (लाख में)		11	0.0000
	प्रथम वर्ष (लाख में)		ន	0.00000
	কুন মোথ নোম্ব শ্র্		6	1.61294 ####### #######
एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशी वर्षवार	पंचम वर्ष (लाख में)		<b></b>	## .
	प्रयम यर्षे दितीय यर्षे दितीय यर्षे चतुर्थ यर्षे 'पंचम यर्षे (लाख में) (लाख में) (लाख में) (लाख में)		7	_
	हतीय वर्ष (लाख में)		٥	#######################################
	देतीय वर्ष (लाख में)		n	6.43610
रकरार	न्यम यर्ष लाख में)		*	2.61128
योजना का नाम			,	Narendrapur chowk to Leb Kali Sthan Phulparas saw Dalit Tola Tak Path Under Laukahi Block
कार्य प्रमंडल का नाम			,	Phulpara
	क्ष	,	٠	<u> </u>

1. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।

2. पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है |

3. अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुत राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% की अधिकतम सीमा

के भीतर हैं । साथ ही अनुमोदित परिमाण में मदों की मात्रा का विचलन भी 20% से ज्यादा नहीं है |

अनु॰-प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र ,अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमानित प्रति ।



िर्मात्रकार प्रमंडतीय तेषा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडत फुलपरास।